



### प्रारूप संख्या एसटीके-6

#### सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

--

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/618  
23/07/2024

दिनांक: -

#### संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (13) कम्पनियों का नाम गुजरात राज्य से हटाने के मामले में:

| S No. | Work Item | CIN                   | Hindi   |
|-------|-----------|-----------------------|---|
| 1     | AA9211159 | U46593GJ2023PTC143610 | अदिता कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 2     | AA9273217 | U24290GJ2021PTC122091 | कैब ऑर्गोकेम प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 3     | AA9286460 | U45309GJ2021PTC119338 | बिल्डिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड              |
| 4     | AA9255516 | U67100GJ2020PTC118744 | एम्पुराण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड   |
| 5     | AA9374431 | U51909GJ2020PTC112600 | जय सियाराम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड  |
| 6     | AA9257361 | U74999GJ2018PTC102518 | इन्फिक्की मार्कसेल्स प्राइवेट लिमिटेड           |
| 7     | AA9268459 | U61100GJ2017PTC098321 | ओशन कॉरिडोर शिपिंग लाइन प्राइवेट लिमिटेड        |
| 8     | AA9384019 | U45201GJ1982PTC005058 | आश्रम प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड              |
| 9     | AA9332448 | U74999GJ2019PTC107124 | शियर-सर्कल प्राइवेट लिमिटेड                     |
| 10    | AA9123423 | U15200GJ2015PTC084804 | गौधरा डेयरी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड         |
| 11    | AA9110979 | U22110GJ2001PTC039552 | प्रगति प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 12    | AA8697194 | U80301GJ2013PTC077730 | एचजेडी एजुकेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड        |
| 13    | AA9265993 | U29248GJ2014PTC081015 | अलोमा एंटरप्राइज़ प्राइवेट लिमिटेड              |

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू  
रजिस्ट्रार  
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

**CBC 07123/11/0301/2425**